संख्या : 84/2015/1541(2)/छप्पन-2015-7/2013

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 26 अक्टूबर, 2015**

विषय : राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0 पी0 पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 जी0पी0 सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में सिमुलेटर पर पायलट इन कमाण्ड ट्रेनिंग (प्रोलाइन-21) तथा प्रोफिसियन्सी चेक ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 581/ना0उ0नि0/आप्स-19/2015, दिनांक 09.10.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- पूर्व में शासनादेश संख्या 78/2015/1427(2)/छप्पन-2015-7/2013, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कै0 जी0पी0 सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0 पी0 पर सिमुलेटर पर पायलट इन कमाण्ड ट्रेनिंग (प्रोलाइन-21) तथा प्रोफिसियन्सी चेक ट्रेनिंग कराये जाने हेतु मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 02-10-2015 से दिनांक 03-11-2015 तक (चार यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) कराये जाने के लिए अग्रिम आहरण की स्वीकृति कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से कै0 जी0पी0 सिंह द्वारा उक्त कार्यक्रमानुसार उक्त प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया जा सका है।

3- उक्त पत्र दिनांक -09.10.2015 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कै0 जी0पी0 सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0 पी0 पर सिमुलेटर पर पायलट इन कमाण्ड ट्रेनिंग (प्रोलाइन-21) तथा प्रोफिसियन्सी चेक ट्रेनिंग कराये जाने हेतु मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर उक्त प्रशिक्षण पूर्व कार्यक्रम दिनांक 02-10-2015 से दिनांक 03-11-2015 के स्थान पर अब संशोधित कार्यक्रमानुसार दिनांक 30-10-2015 से दिनांक 30-11-2015 (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) तक प्रदान करने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 78/2015/1427(2)/छप्पन-2015-7/2013, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 को इस सीमा तक संशोधित करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है कि अब प्रश्नगत प्रशिक्षण संशोधित कार्यक्रमानुसार दिनांक 30-10-2015 से दिनांक 30-11-2015 (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) तक सम्पादित किया जायेगा। पूर्व निर्गत

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या 78/2015/1427(2)/छप्पन-2015-7/2013, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में उल्लिखित प्रश्नगत विदेश प्रशिक्षण हेतु होने वाले अग्रिम आहरण से सम्बन्धित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 29.9.2015 द्वारा स्वीकृत अग्रिम आहरण की धनराशि का आहरण पूर्व में नहीं किया गया है।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

संख्या : 84/2015/1541(3)/छप्पन-2015 तददिनांक ।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।